अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६ )

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

| आदेश की क्रम संख्या<br>कीस तारीख<br>१ | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>२ | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में<br>टिप्पणी, तारीख–सहित<br>३ |
|---|---|---|

## न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

**सेवा अपील वाद संख्या 88 / 2013**

पिताम्बर यादव —— अपीलार्थी

वनाम

राज्य —— रेस्पाण्डेन्ट / विपक्षी

## –:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक 958–2 दिनांकः 20.07.2011 ई० के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के दाखिल किया गया है।

उभय पक्षों को बहस के दौरान सुना। अभिलेख का अवलोकन किया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में कथन कहते हैं कि प्रखंड पदाधिकारी, राघोपुर के पत्रांक 1135–2 दिनांक 25.07.09 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बीरपुर के पत्रांक 1440–2 दिनांक 08.08.09 द्वारा श्री पिताम्बर यादव, पंचायत सचिव, (अपीलार्थी) के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र प्रपत्र ''क' के आलोक में विभागीय विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप विकास आयुक्त, सुपौल को जिला पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक 363–2 जि0 पं0 दिनांक 21.10.09 द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उप विकास आयुक्त, सुपौल के ज्ञापाक 1958 / अभि0 दिनांक –06.11.2009 द्वारा अपीलार्थी को प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र 'क' में दिनांक 23.09.08 को जिले के बाढ राहत संबंधित शिविर संचालन में 6 अनियमिताएं का आरोप लगाये गये है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे कथन करते है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रथम आरोप यह अधिरोपित किया गया है कि शिविर में बाहरी व्यक्ति उपस्थित थे वे शिविर के माहौल को खराब करते हुए पाया गया । इसमें से 3 व्यक्तियों को स्थानीय थाना में सौंप कर स्टेशन इन्ट्री कराया गया। अपीलार्थी अपने स्पष्टीकरण एवं विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से मौखिक बहस में कथन करते है कि शिविर में कुछ बाहरी व्यक्ति का अनाधिकार प्रवेश हुआ था, परन्तु मेरे द्वारा इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। जिस आधार पर बाहरी व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। आरोपी (अपीलार्थी) द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। जॉच पदाधिकारी द्वारा इस विन्दु पर प्रतिवेदित

किया गया है कि शिविर में बाहरी व्यक्ति उपस्थित थे जिसकी पुष्टि श्री पीताम्बर यादव द्वारा अपने स्पष्टीकरण में इस बात को स्वीकार किया है साथ ही उनके द्वारा अनाधिकृत व्यक्तियों बाहर निकालने हेतु प्रशासन को सूचना दी गयी जो परिस्थिति के अनुकूल प्रतीत होता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दूसरे आरोप के संबंध में यह कथन करते है कि दोपहर भोजन में बचे हुए चावल को रसोई घर में ही खुला रखा उसमें मक्खी देखा गया । रसाई घर में स्वच्छता की अत्यंत ही अभाव देखा गया। अपीलार्थी अपने स्पष्टीकरण एवं विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से मौखिक बहस में कथन करते है कि दोपहर का खाना खिलाने के पश्चात कुछ चावल छिट पुट स्थान पर गिरा था जिस पर मक्खी लग रही थी। शिविर में स्वच्छता पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता था। आरोपी (अपीलार्थी) द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर प्रखड विकास पदाधिकारी से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। जॉच पदाधिकारी द्वारा इस विन्दु पर प्रतिवेदित किया गया कि दोपहर का खाना खिलाने के बाद चावल खुला रखा गया था जिसमें मक्खी देखी गई । इस संबंध में श्री यादव द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दोपहर का खाना खिलाने के बाद कुछ चावल छिटपुट जगह पर गिरा था जिसपर मक्खी आ गई थी।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा तीसरे आरोप के सन्दर्भ में कथन करते है कि शिविर में लगभग 150 परिवारों को अबतक साबुन तेल उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी से शिविर प्रभारी द्वारा इस की मांग नहीं की गई। अपीलार्थी अपने स्पष्टीकरण एवं विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से मौखिक बहस में कथन करते है कि शिविर में सभी पीड़ितों को सामग्री के अभाव में उपलब्ध नहीं कराया गया। बार–बार प्रखंड विकास पदाधिकारी से तेल साबुन का आपूर्ति करवाने का अनुरोध किया परन्तु प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बाद में उपलब्ध कराया गया जिसे बॉट दिया गया। आरोपी (अपीलार्थी) द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। जॉच पदाधिकारी द्वारा इस विन्दु पर प्रतिवेदित किया गया कि 150 परिवारों को अबतक साबून, तेल उपलब्ध नहीं कराया गया । शिविर में कुल 600 परिवार रहता था शष परिवारों को उनके द्वारा तेल, साबुन उपलब्ध कराया गया था।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता चौथे आरोप के संदर्भ में कथन करते है कि शिविर में ऑगनबाड़ी केन्द्र नहीं चल रहा था। अपीलार्थी अपने स्पष्टीकरण एवं मौखिक बहस में कथन करते हैं कि शिविर में ऑगनबाड़ी केन्द्र सुचारू रूप से चल रहा था। आरोपी (अपीलार्थी) द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। जॉच पदाधिकारी द्वारा इस विन्दु पर प्रतिवेदित किया गया कि शिविर में विशेष आंगनबाड़ी केन्द्र चलाने की जिम्मेवारी बाल विकास परियोजना की थी।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता पॉचवे के आरोप के संदर्भ में कथन करते है कि शिविर में बैकल्पिक शिक्षा केन्द्र का संचालन नहीं हो रहा था। अपीलार्थी अपने स्पष्टीकरण एवं विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से मौखिक बहस में कथन करते है कि शिविर में बैकल्पिक शिक्षा केन्द्र भी चल रहा था। आरोपी (अपीलार्थी) द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। जॉच पदाधिकारी द्वारा इस विन्दु पर प्रतिवेदित किया गया कि शिविर में बैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था प्र0 शि0 पदा0 की थी, पंचायत सचिव द्वारा उनका पर्यवेक्षण किया जाता था।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता छठा आरोप के संदर्भ में कथन करते है कि शिविर में बाढ प्रभावित व्यक्तियों के द्वारा माननीय मंत्री एवं जिला पदाधिकारी को सब्जी कम मिलने, बाहरी व्यक्तियों का दबाव एवं हस्तक्षेप होने शिविर प्रभारी के द्वारा दुर्व्यवहार करने का गम्भीर आरोप से अवगत कराया गया पूछे जाने पर शिविर प्रभारी श्री पीताम्बर यादव पंचायत सेवक देवीपुर के द्वारा किसी तरह का स्पष्ट जबाव नहीं दिये जाने का आरोप है। इस संबंध में अपीलार्थी अपने स्पष्टीकरण एवं विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कथन करते है कि शिविर में बाहरी व्यक्तियो एवं खाना पीना से रोका

जाता था, जिस कारण बाहरी व्यक्तियों द्वारा ही सब्जी कम देने का भी आरोप लगाया गया है। आरोपी (अपीलार्थी) द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। जॉच पदाधिकारी द्वारा इस विन्दु पर प्रतिवेदित किया गया कि शिविर में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के द्वारा जिला पदाधिकारी को सब्जी कम मिलने की बात कही गयी । इस संबंध में श्री यादव द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शिविर में बाहरी व्यक्ति खाने का प्रयास करते थे जिन्हें रोका जाता था। उन्हीं लोगों ने जिला पदाधिकारी को सब्जी कम मिलने की शिकायत की गई थी। श्री यादव का कहना सत्य प्रतीत होता है क्योंकि जब राहत शिविर चल रहा था बाढ़ अप्रभावित व्यक्ति भी शिविर में लाभ उठाना चाहते थे।

उप विकास आयुक्त सह संचालन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा श्री पीताम्बर यादव द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, राघोपुर द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर श्री पीताम्बर यादव, पंचायत सचिव, राघोपुर सम्प्रति पदस्थापित त्रिवेणीगंज प्रखंड पर लगाये गये आरोप की पुष्टि नही होना पाया गया है, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक 958–2 दिनांक 20.07.11 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित आदेश निर्गत किये गये है–

1 श्री पिताम्बर यादव, पंचायत सचिव को भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए तात्कालिक प्रभाव से निलम्बन से मुक्त करते हुए उन्हें प्रखंड राघोपुर से स्थानान्तरित कर प्रखंड मरौना अन्तर्गत पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री यादव को निलम्बन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा और कुछ देय नहीं होगां।

अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन से ज्ञात होता है कि –

*1. श्री पीताम्बर यादव, शिविर के प्रभारी के रूप कार्य संपादन कर रहे थे।*

*2. प्रपत्र 'क' पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, राघोपुर का भी दिनांक 25.07.09 की तिथि में हस्ताक्षर है एवं अन्य उच्चाधिकारियों का हस्ताक्षर उसके बाद की तिथि में है अर्थात श्री पिताम्बर यादव पर लगाये गये आरोप पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की स्पष्ट सहमति परिलक्षित होता है।*

*3. जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक 1491–2 आ0 प्र0 दिनांक 27.09.2008 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में पूछने पर उपस्थित शिविर प्रभारी श्री पिताम्बर यादव, पंचायत सेवक, देवीपुर पंचायत के द्वारा किसी तरह का स्पष्ट जबाव नहीं दिया गया। उनके द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र एवं बैकल्पिक शिक्षा केन्द्र नहीं चलने सम्बन्धी प्रतिवेदन भी उच्चाधिकारी को नहीं दिया गया बाद में स्पष्टीकरण में यह कथन करना कि आंगनबाड़ी केन्द्र सुचारूरूप से चल रहा था सही प्रतीत नहीं होता है।*

*4 आरोप संख्या 3 के संबंध में आरोपी (अपीलार्थी) द्वारा यह कथन किया गया है कि बार– बार प्रखंड विकास पदाधिकारी से तेल साबुन का आपूर्ति करवाने का अनुरोध किया परंतु प्रखड विकास पदाधिकारी द्वारा बाद में उपलब्ध कराया गया जिसे बॉट दिया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने कथन की सम्पुष्टि में प्रखंड विकास पदाधिकारी से तेल साबुन के संबंध में दिये गये अधियाचना की मूल अथवा छाया प्रति दाखिल नहीं किया गया है।*

*5. निम्नन्यायालय के अभिलेख/संचिका पर रक्षित नारियल तेल, देहवाला साबून, कपडा धोनेवाला साबून वितरण पंजी की छाया प्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त पंजी किसी भी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित नहीं किया गया है तथा पंजी पर बाढ़ पीड़ितों को वितरित सामग्री की सम्पुष्टि हेतु प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर कॉलम में सभी बाढ़ पीड़ितों के अँगूठा का निशान है उसका भी किसी व्यक्ति के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी व्यक्ति अशिक्षित ही थे?*

*यह स्थिति सामग्री वितरण की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है।*

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकनोपरांत, पाया कि अपीलार्थी को अपने बचाव हेतु अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। इसमें नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त का पूर्णतः अनुपालन किया गया है। दंडादेश में मात्र चेतावनी दी गई है जो बिहार असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) निपयमावली में विहित दण्ड के प्रावधान की श्रेणी में भी नहीं आता है। अनुशासनिक प्राधिकार –सह–जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निरतारित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।

22/11/2013
आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

22/11/2013
आयुक्त
कोशी प्रमंडल सहरसा